

## प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.09.2023

दीवानी कचहरी कैम्पस में कैंटीन दिलाने के नाम पैसे हड़प लेने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में, उ0नि0 अभिषेक सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 666/2023 धारा 419/420/406/506 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त बैभव सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी 123 बनौड़ा पो0-अमतौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण :-

बैभव सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी 123 बनौड़ा पो0- अमतौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 666/2023 धारा 419/420/406/506 भादवि थाना कैण्ट

### गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक सिंह चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. का0 गोविन्द थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर